

‘इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपाल

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ-308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर 2011 में परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाइ जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत

परिवहन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील का पदनाम	प्रथम अपील के निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.1	लनिंग ड्रायविंग लायर्सेंस जारी करना	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	10 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.2	वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संभागायुक्त
15.3	वाहन का पंजीयन	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.)	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस,

प्रमुख सचिव